ए.

एसईपीसीओ विद्युत शक्ति निर्माण निगम

बनाम

पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। (2022 की सिविल अपील संख्या 6789) सितंबर 19,2022

बी.

[इंदिरा बनर्जी और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे।**]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:एसएस।36 और 9-मध्यस्थता पुरस्कार-तथ्यों पर हस्तक्षेप, प्रत्यर्थी के पक्ष में 142 करोड़ रुपये का पुरस्कार-उच्च न्यायालय के यू/एस के समक्ष अपीलार्थी द्वारा चुनौती।34 – उसी दिन अपीलार्थी ने यू/एस के तहत अंतरिम आवेदन दायर किया।36(2) मध्यस्थता पुरस्कार पर रोक लगाने की मांग-इसके बाद, प्रत्यर्थी ने यू/एस के तहत एक आवेदन दायर किया।9 अधिनिर्णय की गई राशि के विरुद्ध प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए अपीलार्थी से आदेश की मांग करना-इसके बाद, अपीलार्थी को हर 15 दिनों के अंतराल पर अपने बैंक खातों में राशि का 10 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया-प्रत्यर्थी ने एक अन्य आवेदन दायर करके अपीलार्थी को अधिनिर्णय की गई राशि को ब्याज के साथ जमा करने का निर्देश देने की मांग की-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आवेदन का निपटारा कर दिया।9 संबंधित अंतरिम आवेदनों के साथ-साथ एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी यू/एस के आवेदन पर उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करते हुए एक और आदेश पारित किया।36(2) पुरस्कार पर रोक लगाने के लिए और निर्देश जारी किए कि पुरस्कार राशि जमा करने पर, पुरस्कार के प्रवर्तन पर रोक रहेगी-हस्तक्षेप के साथ-आयोजितः नहीं बुलाया गया-कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं है कि समय से पहले किए गए आवेदन को बाद में किए गए आवेदन से पहले सुना जाना चाहिए-दोनों आवेदन यू/एस।9 प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया और यू/एस द्वारा ठहरने के लिए आवेदन।36(2) अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया, भले ही स्वतंत्र आवेदन, एक ही विवादित पुरस्कार से संबंधित हैं-प्रथम दृष्टया, रुपये की भारी राशि के लिए एक पुरस्कार है। अपीलार्थी के खिलाफ ₹142 करोड़-प्रत्यर्थी के पास अंतरिम राहत के लिए एक मजबूत मामला है-पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए प्रथम दृष्टया भी कोई ठोस आधार नहीं बनाया गया-उच्च न्यायालय ने अपनी शक्तियों के दायरे में कार्य किया।9 आक्षेपित आदेश पारित करने में।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** ऐसा कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं है कि समय से पहले किए गए आवेदन को आवेदन से पहले सुना जाना चाहिए।

एच.

343 ए.

बाद में समय पर किया गया।मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** की धारा **9** के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन और यू/एस द्वारा स्थगन के लिए आवेदन दोनों।**36(2)** अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया आवेदन उसी विवादित पुरस्कार से संबंधित है।भले ही**,** आवेदन स्वतंत्र आवेदन हो सकते हैं**,** धारा **9** के तहत प्रत्यर्थी के आवेदन और धारा **36 (2)** के तहत अपीलार्थी के आवेदन दोनों के लिए विचार करने के लिए सामान्य कारक आवश्यक हैं।धारा **9** के तहत इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र व्यापक है।कोई पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले**,** मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या मध्यस्थता पुरस्कार दिए जाने के बाद किसी भी समय**,** लेकिन मध्यस्थता अधिनियम की धारा **36** के अनुसार इसे लागू करने से पहले**,** अंतरिम उपायों के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। धारा **9** स्पष्ट रूप से न्यायालय को मध्यस्थता में विवाद की राशि और/या किसी भी अंतरिम उपाय या संरक्षण को सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार देती है जो न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत हो।धारा **9** के तहत अंतरिम राहत देने के लिए**,** न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करना होगा**,** क्या सुविधा का संतुलन अंतरिम राहत के पक्ष में है जैसा कि दिए जाने के लिए अनुरोध किया गया है और क्या आवेदक ने उचित अभियान के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।इस मामले में**,** प्रथम दृष्टया एक करोड़ रुपये की बड़ी राशि के लिए एक पुरस्कार है। अपीलार्थी के विरुद्ध **142** करोड़ रुपये।प्रत्यर्थी के पास अंतरिम राहत के लिए एक मजबूत मामला है।**[**पैरा **21-25] [352-A-F]**

बी.

सी.

डी.

ई.

1.2 पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए आधार सीमित हैं।इस न्यायालय के समक्ष भी**,** अपीलार्थी किसी भी ठोस और स्पष्ट त्रुटि का विज्ञापन नहीं कर पाया है जो निर्णय की जड़ तक जाती है। पुरस्कार के भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ होने का तर्क किसी भी विवरण से रहित है। **[**पैरा **26] [352-**एफ**-**जी**]**

एफ.

1.3 धारा **36** के तहत**,** जहां मध्यस्थता पुरस्कार को अपास्त करनाने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है**,** पुरस्कार को सी**.** पी**.** सी**.** के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से लागू किया जा सकता है जैसे कि यह न्यायालय की डिक्री थी।धारा **36 (2)** यह स्पष्ट करती है कि धारा **34** के तहत किसी पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन दायर करना पुरस्कार को अप्रवर्तनीय बनाने के लिए नहीं है**,** जब तक कि न्यायालय धारा **36** की उप**-**धारा **(3)** के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता पुरस्कार के संचालन पर रोक लगाने का आदेश स्पष्ट रूप से उस ए के लिए किए गए एक अलग आवेदन पर नहीं देता है।

जी.

एच.

345

एस. ई. पी. सी. ओ. विद्युत शक्ति निर्माण निगम बनाम पावर मशीन प्रोजेक्ट लिमिटेड।

उद्देश्य।एक बार जब धारा **36** की उप**-**धारा **(2)** के तहत मध्यस्थता पुरस्कार के संचालन पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किया जाता है**,** तो न्यायालय ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जो वह उचित समझे**,** लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसे पुरस्कार के संचालन पर रोक लगा सकता है।न्यायालय को ऐसी शर्तें लागू करने का अधिकार है जो वह उचित समझे और ब्याज सहित पुरस्कार की पूरी राशि को शामिल करते हुए प्रतिभूति प्रदान करने के अधीन पुरस्कार के संचालन पर रोक लगा सकता है।धारा **36 (3)** के परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि धन के भुगतान के लिए मध्यस्थता पुरस्कार के मामले में स्थगन प्रदान करने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय**,** सी**.** पी**.** सी**.** के परंतुक ों के तहत धन डिक्री के स्थगन प्रदान करने के परंतुक ों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। धारा **36 (3)** के परंतुक में आगे कहा गया है कि जहां न्यायालय का यह समाधान होता है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है कि **(**ए**)** मध्यस्थता समझौता या अनुबंध जो पुरस्कार का आधार है या **(**बी**)** पुरस्कार देना धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था**,** तो वह पुरस्कार पर बिना शर्त रोक लगाएगा।**34** पुरस्कार से।**[**पैरा **27-30] [352-G-H; 353-A-E]**

बी.

सी.

डी.

1.4 एक लाख रुपये का पुरस्कार है। प्रत्यर्थी के पक्ष में **142** करोड़।विवादित पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए प्रथम दृष्टया भी कोई ठोस आधार नहीं बनाया गया है।सी**.** पी**.** सी**.** के आदेश **41** नियम **5** में नकद प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर आदेश पर रोक लगाने का प्रावधान है।उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में धारा **9** के तहत अपनी शक्तियों के दायरे में काम किया।इस प्रकार**,** हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।हालांकि**,** उच्च न्यायालय से अपीलार्थी के लंबित आवेदनों का निपटारा करने का अनुरोध किया जाता है।**34** जितनी जल्दी हो सके पुरस्कार को अलग करने के लिए।**[**पैरा **35-37] [355-E-F]**

ई.

एफ.

अजय सिंह और अन्य बनामकाल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड और

ओआरएस। (2017) एससीसी ऑनलाइन डेल 8934; जगदीश आहूजा और अन्र बनामक्यूपिनो लिमिटेड (2020) एससीसी ऑनलाइन बॉम 849;

वैलेनटाइन मैरीटाइम लिमिटेड बनामक्रेज़ सबसी पीटीई लिमिटेड और ए. एन. आर.

(2021) एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन बॉम **75-**संदर्भित।

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 6789।

2020 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (कम) 59 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.01.2021 के निर्णय और आदेश से।

एच.

ए.

के साथ

2022 की सिविल अपील संख्या 6792।

रंजीत प्रकाश, गौरव लवानिया, सौरभ अग्रवाल, पाई अमित, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, धर्मेश मिश्रा, प्रतीक गुप्ता, कृष्ण देव जगरलामुदी, अजीम सैमुअल, विशाल सिंह, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

सी.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलार्थी , चीन में निगमित एक इकाई को भारत में विभिन्न कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं के संबंध में अनुबंध दिए गए थे और प्रत्यर्थी , भारत में निगमित एक कंपनी, अपीलार्थी के उप-ठेकेदार के रूप में लगी हुई थी।प्रत्यर्थी और अपीलार्थी के बीच विवादों और मतभेदों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।यह उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है कि मध्यस्थता का समापन 17 अक्टूबर 2017 को एक पुरस्कार के रूप में हुआ, जिसमें लगभग रु। 1,42,00,00,000/- (एक सौ बयालीस करोड़ रुपये) प्रत्यर्थी के पक्ष में।

डी.

3. 3 दिसंबर 2017 को, अपीलार्थी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत ओ. एम. पी. के रूप में एक आवेदन दायर किया। (सी. ओ. एम. एम.) 2017 की सं. 432 ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग में 17 अक्टूबर 2017 के मध्यस्थ निर्णय को चुनौती दी, जो लंबित है।

ई.

4. उसी दिन, यानी 3 दिसंबर 2017 को, अपीलार्थी ने उक्त ओ. एम. पी. में 2017 की आई. ए. संख्या 14342 के रूप में एक अंतरिम आवेदन दायर किया। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 (2) के तहत 2017 का (सी. ओ. एम. एम.) No.432 मध्यस्थता पुरस्कार पर रोक लगाने की मांग करता है।

एफ.

5. लगभग एक सप्ताह के बाद, 11 दिसंबर 2017 को, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत ओ. एम. पी. के रूप में एक आवेदन दायर किया। (I) उच्च न्यायालय में 2017 का (सी. ओ. एम. एम.) सं. 523, अन्य बातों के साथ-साथ, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि के विरुद्ध प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए अपीलार्थी को आदेश देने का अनुरोध करता है।

जी.

6. 14 दिसंबर 2017 को उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता ए की धारा 9 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन में नोटिस जारी किया।

एच.

347

एस. ई. पी. सी. ओ. विद्युत शक्ति निर्माण निगम बनाम पावर मशीन प्रोजेक्ट लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

अधिनियम बनाया और अपीलार्थी को परिसंपत्तियों का शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।14 दिसंबर 2017 के आदेश के अनुपालन में, अपीलार्थी ने अपनी परिसंपत्तियों का विवरण देते हुए अपना हलफनामा प्रस्तुत किया।

7. 10 मई 2018 को या उसके आसपास, प्रत्यर्थी ने तलवंडी साबो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टी. एस. पी. एल.) से बकाया पूरी राशि जमा करने का अनुरोध करते हुए 2018 की आई. ए. संख्या 6704 के रूप में एक आवेदन दायर किया।उक्त आवेदन को 15 मई 2018 के एक आदेश द्वारा इस टिप्पणी के साथ निपटाया गया था कि न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा की गई प्रार्थनाओं की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं देखा।

बी.

8. 24 जुलाई 2018 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारत में अपनी संपत्तियों के बेहतर विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया।इस बीच, अपीलार्थी को अपने बैंक खातों में राशि का 10 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिसे हर 15 दिनों के अंतराल पर उच्च न्यायालय में संपत्ति के अपने हलफनामे में संदर्भित किया गया है।

सी.

9. 24 जुलाई 2018 के उपरोक्त आदेश के अनुसार, अपीलार्थी ने परिसंपत्तियों का अपना पूरक शपथ पत्र दाखिल किया।दो दिन बाद, 20 अगस्त 2018 को, प्रत्यर्थी ने 2018 की आई. ए. संख्या 11128 के रूप में एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रत्यर्थी को रुपये की अधिनिर्धारित राशि जमा करने के निर्देश दिए गए। 142,41,14,499/- (एक सौ बयालीस करोड़ रुपये, इकतालीस लाख रुपये, चौदह हजार रुपये, चार सौ निन्यानबे रुपये) पुरस्कार की तारीख से उच्च न्यायालय में दी गई राशि की प्राप्ति तक प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ।

डी.

ई.

10. समय-समय पर विभिन्न अंतरिम आवेदन दायर किए जाते थे।20 मार्च 2019 को, प्रत्यर्थी ने 2019 का आई. ए. No.4259 के रूप में एक और आवेदन दायर किया, जिसमें रुपये की सम्मानित राशि जमा करने के आदेश की मांग की गई। 142,41,14,499/- ब्याज के साथ।

एफ.

11. 17 फरवरी 2020 के एक निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत 2017 के ओ. एम. पी. (आई) (सी. ओ. एम. एम.) No.523 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन का संबंधित अंतरिम आवेदनों के साथ निपटारा किया।17 फरवरी 2020 के निर्णय और आदेश का कार्यात्मक भाग नीचे दिया गया हैः-

जी.

“32. हालांकि यह सच है कि याची के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिखाए गए कुछ आदेशों में, इस न्यायालय की समन्वय पीठें 50 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दे रही हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों के साथ-साथ वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, मेरी राय है कि याची

एच.

प्रत्यर्थी को सुरक्षित करने के लिए Rs.142 करोड़ (मूल राशि) की प्रदत्त राशि का 100% जमा करना होगा।

33. चूंकि याची पहले ही Rs.30 करोड़ का बीजी प्रस्तुत कर चुका है और रुपये की अतिरिक्त राशि जमा कर चुका है। 2. 74 करोड़, उक्त राशि को समायोजित किया जाएगा और 1 करोड़ से शेष राशि याची द्वारा आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा की जाएगी।उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका को सभी लंबित आवेदनों के साथ निपटाया जाता है।”

बी.

12. उसी दिन, यानी 17 फरवरी 2020 को एकल पीठ ने एक और आदेश पारित किया जिसमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 (2) के तहत अपीलार्थी के आवेदन पर प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।न्यायालय ने निर्देश दिया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रत्यर्थी के आवेदन में पहले के निर्देश के अनुसार, 17 अक्टूबर 2017 के निर्णय के प्रवर्तन पर चार सप्ताह के भीतर रोक लगा दी जाएगी।

सी.

डी.

13. अपीलार्थी की ओर से श्री के. वी. विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 (2) के तहत स्थगन के लिए अपीलार्थी का आवेदन प्रत्यर्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत के लिए अपना आवेदन दायर करने से पहले दायर किया गया था। अपीलार्थी का आवेदन पहले दायर किए जाने के कारण, अंतरिम राहत के लिए प्रत्यर्थी के आवेदन पर आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था, पहले रोक के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर विचार किए बिना।14. श्री विश्वनाथन ने बताया कि उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 (2) के तहत अपीलार्थी के आवेदन में आदेश को उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रत्यर्थी के आवेदन में आदेश के साथ जोड़कर अपीलार्थी को धारा 9 के तहत पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील के अपने कानूनी उपाय से वंचित कर दिया था, क्योंकि धारा 36 के तहत एक आदेश अपील योग्य नहीं है।यदि धारा 9 के तहत दायर बाद के आवेदन को धारा 36 (2) के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर पहले के आवेदन के साथ नहीं जोड़ा गया होता, तो अपीलार्थी मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत आदेश से न्यायालय के भीतर अपील दायर कर सकता था।

ई.

एफ.

जी.

15. श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया कि धारा 36 की उप-धारा (3) न्यायालय को पुरस्कार के संचालन पर रोक लगाने में सक्षम बनाती है।हालाँकि, न्यायालय माँगने के लिए एक पुरस्कार पर रोक नहीं लगा सकती है।पुरस्कार पर केवल लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए रोक लगाई जा सकती है।इसके अलावा, ए के अनुदान के लिए

एच.

धन के भुगतान के लिए मध्यस्थता पुरस्कार के मामले में स्थगन, न्यायालय को सी. पी. सी. के प्रावधान के तहत धन डिक्री में स्थगन देने के प्रावधानों का उचित सम्मान करना है।

16. धारा 36 की उप-धारा (3) के तहत किसी पुरस्कार पर रोक लगाने की शक्ति को उन शर्तों को लागू करने के कर्तव्य के साथ जोड़ा जाता है जिनमें पुरस्कार की राशि की न्यायालय में जमा करके पुरस्कार प्राप्त करने की शर्त शामिल हो सकती है।यह सच हो सकता है जैसा कि श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया था कि न्यायालय स्थगन के लिए शर्त नहीं लगा सकता है, यदि वह ऐसा

न करना उचित समझता है।पुरस्कार पर बिना शर्त रोक लगाने की न्यायालय की शक्ति निरंकुश नहीं है।बिना शर्त ठहरने की शक्ति दूसरे परंतुक की शर्त के अधीन है जो हैः-

बी.

सी.

न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि-(i) मध्यस्थता समझौता या अनुबंध जो निर्णय का आधार है; या

((ii) पुरस्कार का निर्माण, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था।

डी.

17. श्री विश्वनाथन ने कहा कि हालांकि ठहराव के लिए अनुदान विवेकाधीन हो सकता है लेकिन इस तरह की शक्ति का प्रयोग अनिवार्य है।विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए चुनौती के गुणों पर प्रत्यक्ष रूप से विचार करने की आवश्यकता होती है और इसलिए पुरस्कार की समीक्षा की जाती है जो खेदजनक रूप से नहीं की गई है।

ई.

18. अपीलार्थी ने यह प्रदर्शित करने के लिए विवादित पुरस्कार का मूल्यांकन करने का असफल प्रयास किया है कि पुरस्कार भारत की मौलिक नीति के खिलाफ है।यह तर्क दिया जाता है कि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे।यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील का फैसला करते समय इस स्तर पर विवादित पुरस्कार पर अपील करे और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य की पर्याप्तता की जांच करे।

एफ.

19. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 में निम्नलिखित प्रावधान हैंः-

“36. प्रवर्तन।— (1) जहां धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार अपास्त करना करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, तो, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसा पुरस्कार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से लागू किया जाएगा जैसे कि यह न्यायालय की डिक्री थी।

जी.

एच.

(2) जहां धारा 34 के तहत न्यायालय में मध्यस्थता पुरस्कार अपास्त करना करने का आवेदन दायर किया गया है, वहां ऐसा आवेदन दायर करने से वह पुरस्कार अप्रवर्तनीय नहीं होगा, जब तक कि न्यायालय उस उद्देश्य के लिए किए गए एक अलग आवेदन पर, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार उक्त मध्यस्थता पुरस्कार के संचालन पर रोक लगाने का आदेश नहीं देती है।

बी.

(3) माध्यस्थम अधिनिर्णय के संचालन पर रोक लगाने के लिए उप-धारा (2) के तहत आवेदन दायर करने पर, न्यायालय, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसे पुरस्कार के संचालन पर रोक लगा सकता हैः

सी.

बशर्ते कि न्यायालय, धन के भुगतान के लिए मध्यस्थता पुरस्कार के मामले में स्थगन देने के आवेदन पर विचार करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के तहत धन डिक्री पर स्थगन देने के प्रावधानों पर उचित ध्यान देगा।

डी.

बशर्ते कि जहां न्यायालय का समाधान हो कि एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है कि -

(ए) मध्यस्थता समझौता या अनुबंध जो पुरस्कार का आधार है; या

ई.

(ख) पुरस्कार का निर्माण, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था, यह पुरस्कार की धारा 34 के तहत चुनौती के निपटारे तक बिना शर्त पुरस्कार पर रोक लगाएगा।

एफ.

स्पष्टीकरण —संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त परंतुक मध्यस्थता कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी न्यायालयी मामलों पर लागू होगा, भले ही मध्यस्थता या न्यायालयी कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पहले या बाद में शुरू की गई हो।"

जी.

20. दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 9 में निम्नलिखित संशोधन का प्रावधान हैः-

"9. न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय आदि।— (1) एक पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान या ए बनाने के बाद किसी भी समय कर सकता है।

एच.

माध्यस्थम अधिनिर्णय का, लेकिन धारा 36 के अनुसार इसे लागू करने से पहले, न्यायालय में आवेदन करें।—

(i) मध्यस्थता कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के लिए अभिभावक की नियुक्ति के लिए; या (ii) निम्नलिखित मामलों में से किसी के संबंध में संरक्षण के अंतरिम उपाय के लिए, अर्थात्ः—

बी.

(क) किसी भी माल का संरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या बिक्री जो मध्यस्थता समझौते का विषय हैः

(ख) मध्यस्थता में विवाद की राशि को सुरक्षित करनाः(ग) किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु का निरोध, संरक्षण या निरीक्षण जो मध्यस्थता में विवाद का विषय है, या जिसके बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए किसी व्यक्ति को किसी पक्ष के कब्जे में किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करना, या कोई नमूना लेने के लिए या कोई अवलोकन करने के लिए, या परीक्षण करने के लिए प्रयोग करने के लिए अधिकृत करना, जो पूरी जानकारी या साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन हो सकता है;

सी.

डी.

ई.

(घ) अंतरिम निषेधाज्ञा या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति; (ङ) संरक्षण का ऐसा अन्य अंतरिम उपाय जो न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधाजनक लगे, और न्यायालय के पास आदेश देने की वही शक्ति होगी जो उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के उद्देश्य और उसके संबंध में है।

एफ.

(2) जहां मध्यस्थता कार्यवाही के प्रारंभ से पहले, कोई न्यायालय उप-धारा (1) के तहत संरक्षण के किसी भी अंतरिम उपाय के लिए आदेश पारित करता है, वहां मध्यस्थता कार्यवाही ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर या ऐसे आगे के समय के भीतर शुरू की जाएगी जो न्यायालय निर्धारित करे।

जी.

(3) एक बार मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद, न्यायालय उप-धारा (1) के तहत किसी आवेदन पर विचार नहीं करेगा, जब तक कि न्यायालय को यह पता न चले कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो

एच.

352 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 7 एस. सी. आर.

धारा 17 के तहत प्रदान किए गए उपचार को प्रभावी नहीं बना सकते हैं।"

21. ऐसा कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं है कि समय से पहले किए गए आवेदन को बाद में किए गए आवेदन से पहले सुना जाना चाहिए।

बी.

22. प्रत्यर्थी द्वारा दायर धारा 9 के तहत आवेदन और अपीलार्थी द्वारा दायर धारा 36 (2) के तहत स्थगन के लिए आवेदन दोनों एक ही विवादित पुरस्कार से संबंधित हैं।

23. भले ही आवेदन स्वतंत्र आवेदन हो सकते हैं, धारा 9 के तहत प्रत्यर्थी के आवेदन और धारा 36 (2) के तहत अपीलार्थी के आवेदन दोनों के लिए सामान्य कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है।धारा 9 के तहत इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र व्यापक है।कोई पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या मध्यस्थता पुरस्कार दिए जाने के बाद किसी भी समय, लेकिन मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 के अनुसार इसे लागू करने से पहले, अंतरिम उपायों के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

सी.

डी.

24. धारा 9 स्पष्ट रूप से न्यायालय को मध्यस्थता में विवाद की राशि और/या किसी भी अंतरिम उपाय या संरक्षण को सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार देती है जो न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत हो।25. धारा 9 के तहत अंतरिम राहत देने के लिए न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करना होगा।इस मामले में, प्रथम दृष्टया एक करोड़ रुपये की बड़ी राशि के लिए एक पुरस्कार है। अपीलार्थी के विरुद्ध 142 करोड़ रुपये। प्रत्यर्थी के पास अंतरिम राहत के लिए एक मजबूत मामला है।

ई.

26. यह तय किया गया कानून है कि किसी पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए आधार प्रतिबंधित है। इस न्यायालय के समक्ष भी, अपीलार्थी किसी भी ठोस और स्पष्ट त्रुटि का विज्ञापन नहीं कर

पाया है जो निर्णय की जड़ तक जाती है।पुरस्कार के भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ होने का तर्क किसी भी विवरण से रहित है।

एफ.

27. धारा 36 के तहत, जहां मध्यस्थता पुरस्कार को अपास्त करनाने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, पुरस्कार को सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से लागू किया जा सकता है जैसे कि यह न्यायालय की डिक्री थी।धारा 36 (2) यह स्पष्ट करती है कि धारा 34 के तहत किसी पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन दायर करना पुरस्कार को अप्रवर्तनीय बनाने के लिए नहीं है, जब तक कि न्यायालय स्पष्ट रूप से प्रावधानों ए के अनुसार मध्यस्थता पुरस्कार के संचालन पर रोक लगाने का आदेश नहीं देता है।

जी.

एच.

353

एस. ई. पी. सी. ओ. विद्युत शक्ति निर्माण निगम बनाम पावर मशीन प्रोजेक्ट लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

उस उद्देश्य के लिए किए गए एक अलग आवेदन पर धारा 36 की उप-धारा (3)।

28. एक बार जब धारा 36 की उप-धारा (2) के तहत मध्यस्थता पुरस्कार के संचालन पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किया जाता है, तो न्यायालय ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जो वह उचित समझे, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसे पुरस्कार के संचालन पर रोक लगा सकता है।न्यायालय को ऐसी शर्तें लागू करने का अधिकार है जो वह उचित समझे और ब्याज सहित पुरस्कार की पूरी राशि को शामिल करते हुए प्रतिभूति प्रदान करने के अधीन पुरस्कार के संचालन पर रोक लगा सकता है।

बी.

29. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 (3) के परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि धन के भुगतान के लिए मध्यस्थता पुरस्कार के मामले में स्थगन देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, सी. पी. सी. के परंतुक ों के तहत धन डिक्री पर स्थगन देने के परंतुक ों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।

सी.

30. धारा 36 (3) के परंतुक में आगे कहा गया है कि जहां न्यायालय का यह समाधान होता है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है कि (ए) मध्यस्थता परंतुक या अनुबंध जो पुरस्कार का आधार है या (बी) पुरस्कार देना धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था, तो वह

पुरस्कार की धारा 34 के तहत चुनौती का बिना शर्त निपटारा होने तक पुरस्कार पर रोक लगाएगा।

डी.

31. अजय सिंह और ओआरएस बनामकाल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड और

ई.

ओआरएस। **1** दिल्ली उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दियाः

“.....धारा 9 अदालतों को एक उचित अंतरिम आदेश तैयार करने में व्यापक शक्तियां प्रदान करती है, जो इसके पाठ से स्पष्ट है।फिर भी, अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग सैद्धांतिक होना चाहिए, जो कुछ ज्ञात दिशानिर्देशों पर आधारित होना चाहिए-इसलिए, आदेश 38 और 39 का सादृश्य।समान रूप से, न्यायालय को खुद को उन प्रावधानों के पाठ से अनुचित रूप से बाध्य नहीं होना चाहिए, बल्कि अंतर्निहित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

एफ.

32. जगदीश आहूजा और अन्र बनामक्यूपिनो लिमिटेड 2, द बॉम्बे

जी.

उच्च न्यायालय ने नीचे दिए गए पैराग्राफ 6 में कानून का सही सारांश दिया हैः-

1 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 8934 2 2020 एससीसी ऑनलाइन बम 849

एच.

“ 6 .जहाँ तक अधिनियम की धारा 9 का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह न्यायालय, इसके तहत राहत पर विचार करते हुए, आदेश 38 नियम 5 के प्रावधानों से सख्ती से बंधा हुआ है।जैसा कि हमारे न्यायालयों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अधिनियम की धारा 9 का दायरा बहुत व्यापक है; न्यायालय को इसके तहत संरक्षण के अंतरिम उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का विवेकाधिकार है "जो न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधाजनक लग सकता है", हालांकि इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से।इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय उन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है जिन्हें दीवानी न्यायालयें आम तौर पर अंतरिम राहत पर विचार करने के लिए नियोजित करती हैं, विशेष रूप से, आदेश 39 नियम 1 और 2 और आदेश 38 नियम 5; हालाँकि, न्यायालय उनके ग्रंथों से अनुचित रूप से बाध्य नहीं है।जैसा कि इस न्यायालय ने निम्बस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (न्यायाधीश डी. वाई.

चंद्रचूड़ के अनुसार, उस समय विद्वान न्यायाधीश के रूप में) में निर्णय दिया था, न्यायालय को धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, "न्यायालय के तहत शक्ति प्रदान करने के अंतर्निहित उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए जो विवाद समाधान के रूप में मध्यस्थता की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है।" विद्वान न्यायाधीश ने आगे इस प्रकार टिप्पणी कीः

बी.

सी.

डी.

"जिस तरह एक ओर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निहित प्रक्रियात्मक कानून के मूल सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए अज्ञात क्षेत्र में धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रत्येक प्रक्रियात्मक प्रावधान की कठोरता को राहत देने को विफल करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है जो न्याय के सर्वोपरि हितों को कम करेगा।प्रत्येक मामले के तथ्यों में दोनों विचारों के बीच एक संतुलन बनाना होगा।"

ई.

एफ.

33. वैलेनटाइन मैरीटाइम लिमिटेड बनामक्रेउज़ सबसी पीटीई लिमिटेड और

एन**.** आर**. 3,** बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः**-**

"96. इस न्यायालय ने कहा कि जिस तरह एक ओर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निहित प्रक्रियात्मक कानून के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग एक अज्ञात क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है, उसी तरह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में प्रत्येक प्रक्रियात्मक प्रावधान की कठोरता को राहत अनुदान को विफल करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

जी.

3 2021 एससीसी ऑनलाइन बॉम 75 ए

एच.

जो न्याय के सर्वोपरि हितों की सेवा करेगा।प्रत्येक मामले के तथ्यों में दोनों विचारों के बीच एक संतुलन बनाना होगा।सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्वर्ती उपचारों के अनुदान के लिए निर्धारित सिद्धांतों को न्यायालय को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक आवेदन का निर्धारण करते समय एक मार्गदर्शक प्रस्तुत करना चाहिए।इसलिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (ii) (b) के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय आदेश 38 नियम 5 के अंतर्निहित आधार को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बी.

34. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 न्यायालय को मध्यस्थता में विवाद की राशि को सुरक्षित करने के आदेश पारित करने की व्यापक शक्ति प्रदान करती है, चाहे वह मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले हो, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान हो या मध्यस्थता पुरस्कार देने के बाद किसी भी समय हो, लेकिन मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 के अनुसार इसे लागू करने से पहले। न्यायालय को केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या अंतरिम उपाय के लिए आवेदक के पास एक अच्छा प्रथम दृष्टया मामला है, क्या सुविधा का संतुलन अंतरिम राहत के पक्ष में है जैसा कि प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध किया गया है और क्या आवेदक ने उचित अभियान के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

सी.

डी.

35. यह विवाद में नहीं है कि एक लाख रुपये का पुरस्कार है। प्रत्यर्थी के पक्ष में 142 करोड़। विवादित पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए प्रथम दृष्टया भी कोई ठोस आधार नहीं बनाया गया है।

ई.

36. सी. पी. सी. के आदेश 41 नियम 5 में नकद प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर आदेश पर रोक लगाने का प्रावधान है।उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में धारा 9 के तहत अपनी शक्तियों के दायरे में काम किया।37. हमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।अपील खारिज कर दी जाती हैं।हालाँकि, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह धारा 34 के तहत अपीलार्थी के लंबित आवेदनों का निपटारा करे ताकि इस निर्णय और आदेश के संचार की तारीख से 3 महीने के भीतर अधिमानतः पुरस्कार को जल्द से जल्द रद्द किया जा सके।

एफ.

जी.

निधि जैन

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एच.